

अनुमति की शर्तें।

- (i) उक्त भवन/भूखण्ड के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध नहीं करती है।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (न्यायिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किसी क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा।
- (iv) ~~स्वीकृत~~ नवशे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है।

पञ्चम खंडकी केवल आवासीय भूखण्ड
कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 45 दिनांक 25/04/2019

प्राचीन श्रीमती यादवी जी मोहम्मद वाहिद

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 P.No. 225 व 226 का भाग सी-
धारा 194 (7) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मा. नगर कार्यालय में पेश एलेक्शन वाली माली प्रथम बी रोड
का स्वनिर्धारण राशि रुपये 7285/- का जमा हो

जसिये रसीद संख्या 1005/773/2019
दिनांक 25/04/19 को जमा करा दी है।

यस्य देव
प्रारूपकार
नगर निगम, जोधपुर

Received
Rahul
(9983344420)